



2026:AHC:14279

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत निरस्तीकरण आवेदन संख्या 109 वर्ष 2025

पीयूष वर्मा

...अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

...प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: श्री प्रदीप वर्मा, श्री चन्द्र दत्त

प्रतिवादी के अधिवक्ता: श्री अली जमाल खान कि सहायता से श्री एन. आई. जाफरी (वरिष्ठ अधिवक्ता) और विद्वान ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

(माननीय न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त)

1. यह आवेदन आवेदक - पीयूष वर्मा की ओर से शिकायत वाद संख्या 115562 वर्ष 2023, धारा 406, 120-बी आईपीसी, पुलिस स्टेशन भेलूपुर, जिला वाराणसी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा दिनांक 31.5.2025 को पारित आदेश के तहत अभियुक्त / विपक्षी पक्ष संख्या 2 को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप वर्मा, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.आई. जाफरी को श्री अली जमाल खान कि सहायता से, और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3. अभियुक्ता / विपक्षी पक्ष संख्या 2 की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए इस आवेदन के तथ्य यह हैं कि आवेदक ने श्रीमती पूजा गोवर और उनके पति उमंग गोवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए संबंधित न्यायालय में शिकायत वाद संख्या 115562/2023 दायर किया था और शिकायतकर्ता एवं गवाहों के बयान धारा 200 और 202 सीआरपीसी के तहत दर्ज करने के बाद, संबंधित न्यायालय ने 4.11.2023 को एक आदेश पारित कर उपरोक्त आरोपियों को आईपीसी की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था जिसको इस न्यायालय में धारा 482 संख्या 20040/2024 के तहत आवेदन के माध्यम से चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने 13.12.2024 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन का निपटारा किया और उक्त समन आदेश को रद्द कर दिया तथा मामले को संबंधित न्यायालय को वापस भेज दिया ताकि वह कानून के अनुसार शीघ्रता से नए सिरे से समन जारी करने का आदेश पारित करे। इसके बाद, विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.2.2025 को एक आदेश पारित कर दोनों आरोपियों को धारा 406 और 120-बी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने हेतु तलब किया। उक्त आदेश के अनुसरण में विपक्षी पार्टी संख्या 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अभियुक्ता / विपक्षी संख्या-2 के पश्चातवर्ती आचरण से, जिसके कारण अग्रिम जमानत प्रदान करने वाले आदेश का दुरुपयोग हुआ, व्यथित होकर वर्तमान अग्रिम जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। शिकायत में और धारा 200 एवं 202 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयानों में विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 को अग्रिम जमानत देने की शर्तों में से एक यह थी कि वह इस मामले की सुनवाई में पूर्ण सहयोग करेगी और अनावश्यक रूप से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 को अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद वह इस मामले की सुनवाई में सहयोग नहीं कर रही हैं और लगातार दो बार सुनवाई स्थगित करने के लिए आवेदन कर चुकी हैं, अतः वह संबंधित न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत की शर्त का उल्लंघन कर रही हैं। इसलिए, अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 को दी गई अग्रिम जमानत रद्द की जानी चाहिए और विवादित आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर, अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि मामले की सुनवाई अभी तक साक्ष्य के लिए निर्धारित नहीं की गई है और जिन दो तिथियों पर स्थगन आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, वे साक्ष्य के लिए निर्धारित नहीं की गई थीं। यह भी कहा गया कि उक्त तिथियों पर छूट आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, न कि स्थगन आवेदन। आगे यह भी कहा गया कि अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 निचली अदालत के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है और वास्तव में वह निचली अदालत के साथ सहयोग कर रही है और उसके कथित असहयोग के कारण न्यायिक कार्यवाही में अभी तक कोई बाधा नहीं आई है।

7. आगे यह तर्क दिया गया है कि जिस तिथि को छूट का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस तिथि को साक्ष्य के लिए मामला निर्धारित नहीं था। यह भी निवेदन किया गया है कि साक्ष्य आरोपी की अनुपस्थिति में भी दर्ज किया जा सकता है और आरोपी/विपक्षी संख्या 2 को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि आरोपी/विपक्षी संख्या 2 पहले ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुकी है, इसलिए निचली अदालत द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है और इसके अलावा यह एक शिकायत वाद है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि आरोपी न्यायालय के समक्ष मामले की कार्यवाही में भाग लेने के लिए हमेशा तत्पर और इच्छुक है और यदि न्यायालय द्वारा उसे कोई छूट दी जाती है, तो विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी अनुपस्थिति मुकदमे की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी। विवादित आदेश में कोई खामी या अवैधता नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। न्यायालय के समक्ष आरोपी/विपक्षी संख्या 2 की उपस्थिति से छूट देने के संबंध में अपने तर्कों के समर्थन में, आरोपी/विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के



भास्कर इंडस्ट्रीज लि. बनाम भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लि., (2001) 7 एससीसी 401 और रामेश्वर यादव बनाम बिहार राज्य, (2018) 4 एससीसी 608 मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है। ।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

9. मामले पर विचार करने से पहले, धारा 205 सीआरपीसी और 317 सीआरपीसी के उन प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार हैं:

"205. मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना

(1) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। (2) किन्तु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट, स्वविवेकानुसार, कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्ति की वैयक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विविध कर सकता है।"

317. कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध ।

(1) इस संहिता के अधीन जांच या विचारण की किसी कार्यवाही में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का, उन कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, यह समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायहित में आवश्यक नहीं है, अथवा अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार-बार विघ्न उत्पन्न करता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किए जाने की दशा में, वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से उसे अभिमुक्त कर सकता है तथा उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है। साथ ही, कार्यवाही के किसी पश्चातवर्ती चरण में ऐसे अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दे सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है, अथवा यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, तो वह, यदि उचित समझे, उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए, या तो ऐसी जांच या विचारण को स्थगित कर सकता है अथवा यह आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त का मामला पृथक रूप से लिया जाए या उसका पृथक विचारण किया जाए।“

10. आरोपी/विपक्षी पक्ष संख्या 2 को अग्रिम जमानत देते समय संबंधित न्यायालय ने दिनांक 31.5.2025 के आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तें लगाई :

1. अभियुक्ता विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी तथा स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगी।
2. अभियुक्ता किसी भी व्यक्ति जो इस मामले के तथ्यों से परिचित हो को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगी और ना किसी प्रकार से प्रताड़ित करेगी, धमकाएगी।
3. अभियुक्ता भविष्य में यदि किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होती है तो यह उसके अग्रिम जमानत (ए बेल सं. 109 वर्ष 2025) के निरस्तीकरण का पर्याप्त आधार होगा।
4. अभियुक्ता अग्रिम जमानत पर रहने की अवधि में भारत देश से बाहर नहीं जायेगी।

11. यह कथित जानबूझकर उल्लंघन की पहली शर्त है जिसके लिए अग्रिम जमानत रद्द करने का वर्तमान आवेदन दायर किया गया है।

12. किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आवेदन केवल यह दर्शाता है कि किसी कारणवश अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं है, परन्तु उसकी ओर से उसका अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है और उस विशेष तिथि को न्यायालय में होने वाली कार्यवाही में भाग लेने के लिए उपस्थित है इसका यह अर्थ कभी नहीं है कि छूट आवेदन के माध्यम से अभियुक्त किसी कारणवश अपनी व्यक्तिगत अनुपस्थिति का बहाना बनाकर मामले की कार्यवाही स्थगित करना चाहता है। दूसरी ओर, स्थगन आवेदन का अर्थ है अभियुक्त द्वारा आवेदन में बताए गए किसी भी आधार पर किसी विशेष दिन की कार्यवाही को अस्थायी रूप से किसी अन्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिन के लिए स्थगित करना। अतः, जब भी अभियुक्त द्वारा स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी विशेष दिन अभियुक्त, चाहे कारण कुछ भी हो, मामले की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इच्छुक और तैयार नहीं है, और अभियुक्त के ऐसे आचरण को न्यायालय किसी बहाने से मामले की कार्यवाही को लंबा खींचने का प्रयास मान सकता है। चूंकि किसी अभियुक्त के लिए मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेना जमानत की एक बाध्यकारी शर्त है, इसलिए उक्त शर्त पर न्यायालय से जमानत प्राप्त करने वाले अभियुक्त को केवल अपनी मर्जी से किसी विशेष दिन कार्यवाही स्थगित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, पर्याप्त और संतोषजनक कारण होने पर न्यायालय द्वारा स्थगन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इससे अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के मामले को स्थगित कराने के आचरण पर सवाल उठाने और अवसर मिलता है। न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में सख्त होना चाहिए था और यह मानना चाहिए था कि बार-बार स्थगन आवेदन केवल मुकदमे में देरी करने के उद्देश्य से दायर किए जाते हैं, जो निश्चित रूप से जमानत का अवसर प्रदान करते समय उन पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, यदि न्यायालय के समक्ष किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक हो, उदाहरण के लिए साक्ष्य के उस चरण में जहाँ पहचान का प्रश्न आवश्यक हो, तो न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक इस मामले का संबंध है, जैसा कि अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है, जिस तिथि को छूट का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस तिथि को मामले की सुनवाई साक्ष्य के लिए निर्धारित नहीं थी। अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 की अनुपस्थिति का कारण छूट के आवेदन में उल्लिखित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि छूट इस आधार पर मांगी गई थी कि अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 अपने पति के साथ, जो इस मामले में एक अन्य अभियुक्त भी है, शहर से बाहर थी और यही कारण था कि वह निर्धारित तिथि को न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित थी। अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दलीलें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भास्कर इंडस्ट्रीज लि.** (उपरोक्त) और **रामेश्वर यादव** (उपरोक्त) के मामलों में दिए गए निर्णयों से बल प्राप्त करती हैं।

13. **भास्कर इंडस्ट्रीज लि. मामले** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा था कि क्या अभियुक्त द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर आवेदन को धारा 205 सीआरपीसी या धारा 317 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन माना जा सकता है। उस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामले में उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि अभियुक्त पहले ही गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्राप्त करने और न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप बांड और जमानती प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुका था, इसलिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाद वह धारा 205 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर करने का हकदार नहीं था। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उक्त टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 317 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति पर भी चर्चा की, जिसमें न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के विवेक पर विचार किया गया था, और संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी अभियुक्त के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आवेदन पर विचार करने के मजिस्ट्रेट के अधिकार पर कोई रोक नहीं है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामेश्वर यादव** (उपरोक्त) मामले में भी यही विचार व्यक्त किया है।

15. वास्तव में, स्थगन आवेदन दाखिल करके किसी विशेष तिथि पर कानूनी कार्यवाही को अस्थायी रूप से निलंबित या स्थगित करने का अनुरोध करना और इस प्रकार बाद की तिथि के लिए अनुरोध करना, दूरी या बीमारी आदि जैसे किसी वैध कारण से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने वाले आवेदन से भिन्न है, जिसमें पक्षकार कानूनी रूप से किसी दायित्व से छूट चाहता है। यहीं पर स्थगन आवेदन और छूट आवेदन में अंतर निहित है और छूट आवेदन का उद्देश्य किसी विशेष तिथि, समय या स्थान पर होने वाली कानूनी कार्यवाही को टालना नहीं है।

16. पूरक हलफनामे के साथ संलग्न दिनांक 10.11.2025 के आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह स्थगन आवेदन नहीं है, बल्कि यह केवल अभियुक्ता/विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थिति से छूट के लिए दायर किया गया आवेदन है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपस्थिति से छूट के आवेदन और कार्यवाही के स्थगन के आवेदन में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक इस अंतर को समझने में असमर्थ रहा है।

17. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, मेरी राय में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों में कोई दम नहीं है। अभियुक्ता / विपक्षी संख्या 2 को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है क्योंकि न्यायालय द्वारा अभियुक्ता को अग्रिम जमानत देते



समय लगाई गई किसी भी शर्त का उसने उल्लंघन नहीं किया है। आवेदन खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

18. अंत में, यह ध्यान देना उचित होगा कि न्यायालय के समक्ष अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिनमें यह प्रतीत होता है कि यद्यपि किसी विशेष तिथि पर अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने वाले आवेदन की प्रकृति, दायरा और उद्देश्य कार्यवाही स्थगित करने के आवेदन से भिन्न होते हैं, फिर भी पीठासीन अधिकारी अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और छूट आवेदन को स्थगन आवेदन मान लेते हैं, जो कानून की सही समझ नहीं है। अतः, दोनों प्रकार के आवेदनों की वास्तविक प्रकृति और उद्देश्य को याद दिलाने के लिए, इस न्यायालय के महानिबंधक को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रति सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों, वाणिज्यिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों और उत्तर प्रदेश राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को सूचना और अनुपालन हेतु प्रेषित करें।

19. न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप वर्मा, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.आई. जाफरी, जिनकी सहायता श्री अली जमाल खान कर रहे थे, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री नितेश श्रीवास्तव और न्यायालय के शोध सहयोगी श्री आकाश वर्मा का न्यायालय को कुशलतापूर्वक सहयोग देने के लिए आभारी है।

20 जनवरी, 2026

सफी

(न्यायमूर्ति नलीन कुमार श्रीवास्तव)